(ख) यदि हां,तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;और

(ग) देश में एस.टी.डी.संबंधी क्लीनिकों की कमी को देखते हुए इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री ए.आर.अंतुले): (क) यूनिसेफ ने पिछले पांच वर्षो के दौरान यौन संचारित रोगों की व्याप्तता संबंधी किसी अध्ययन को न तो सहायता दी हैं और न उससे जुड़ा हुआ हैं ।

(ख) और (ग) यौन संचारित रोगों का शुरू में निदान करके उनका उपचार करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में 504 विशिष्ट यौन संचारिक रोग क्लिनिकों को नगद और सामग्रीगत अनुदान प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा हैं । इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को लक्षणयुक्त उपायों के आधार पर मामलों के नैदानिक उपचार में प्रशिक्षित किया जा रहा हैं । संचार के सभी साधनों को जन-जागरूकता पैदा करने हेतु इस्तेमाल किया गया हैं ।

Groundwater Utilisation

*50. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total irrigated land vis-a-vis the total cultivable land during the last three years, Year-wise and State-wise; and

(b) the State-wise investment made for groundwater utilisation during the above period, year-wise?

THE MINISTER OF HEALTH & FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A. R. ANTULAY): (a) and (b) Information is given as per Annexures *[See* appendix 176, Anneuxures No. 14 and 15]

नई परियोजनाओं की घोषणा

*51. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार महीनों के दौरान रेल मंत्रालय ने कितनी नई परियोजनाओं की घोषणा की हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्प धन हैं और इन सभी नई घोषित परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान हैं;और

(ग) इस संबंध में तथ्यपूर्ण ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी):

(क) से (ग) 5 करोड़ रूपये प्रत्येक से अधिक की लागत वाली 12 नई परियोजनाओं को,नवंबर/दिसंबर 1995 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई,रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किया गया था,जिनका विवरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	(**कार्य का विवरण**	(करोड़ रूपये में) **कार्य की लागत**)
1.	पनवेल-करजल विद्युतीकृत नई बड़ी लाइन-चरण-1 28.05 कि.मी.(मध्य रेलवे)	89.00
2.	कुर्ला-थाणे चरण-1 (10 कि.मी.) पांचवीं और छठी लाइन (मध्य रेलवे)	48.04
3.	कालीकट-मंगलूर: दोहरीकरण(दक्षिण रेलवे)	240.00
4.	विरार-सूरत: 9 स्टेशनों पर अतिरक्त लूप(पश्चिम रेलवे)	10.19

क्रम.सं.	(कार्य का विरण	(करोड़ रूपये में) कार्य की लागत)
5.	इलाहाबाद-कानुपरः सपूण रेलपथ नवीकरण(प्राथमिक) 35.78 कि.मी.(उत्तर रेलवे)	41.27
6.	जालंधर-अमृतसरः संपूर्ण रेलपथ नवीकरण(प्राथमिक) 18.29 कि.मी.(उत्तर रेलवे	9.79
7.	आसनसोल मंडल-मुख्य लाइन के 15 ई एम यू रेकों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का सृजन (पूर्व रेलवे)	5.43
8.	चित्रदुर्ग-मालडिब्बों की ने.ओ.हा./आ.ओ.हालिंग के लिए सुविधाएं (दक्षिण रेलवे)	33.84
9.	दिल्ली,अमृतसर,व्यास,लखनऊ, मुरादाबाद,जोधपुर तथा दिल्ली-पानीपत खंड में यात्री सुखसुविधाओं में वृद्वि	9.67
10.	हावड़ा-खेलकूद परिसर का विकास(पूर्व रेलवे)	8.95
11.	यूनिवर्सल रेडियो संचार	61.46
12.	8 नए मंडलों की स्थापना	104.00
		641.94

उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यथासमय पर्याप्त निधि की व्यवस्था कर दी जाएगी।

I

Encroachemcnt of Gram Sabha Land in Delhi

*52. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the land of the gram sabha and of private holders in Delhi are lying inter-mingled, due to which the panchayat department find it extremely difficult to administer its land properly and effectively;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for not giving permission to exchange land to private holders to ensure clubbing of the gram sabha land and of private, holders to check any more encroachments; and

(d) the cases in which the permission to exchange the land/sale of land has been given so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI S.S. AHLUWALIA): (a) and (b) Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have reported that Gaon Sabha land is intermingled with private holding in almost all villages. No comprehensive survey regarding the extent of inter-mingled land has been conducted by Government of National Capital Territory of Delhi.

(c) The exchange of land is only permissible in cases fulfilling the conditions for such exchange, as per the guidelines issued by Government of National Capital Territory of Delhi on 1.1.96 under the Delhi Land Reforms